न्यायालय कामर्शियल कोर्ट, प्रयागराज

Ex. Case No. 68/2020

28.03.2025

1. पत्रावली पेश हुयी। पुकार करायी गयी। पुकार पर निर्णीतऋणी/अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड–4 लो०नि०वि०, प्रयागराज की ओर से विद्वान डी०जी०सी०(सिविल) उपस्थित है। डिक्रीदार की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

2. डिक्रीदार की ओर से प्रार्थना पत्र 20ग प्रस्तुत कर उपरोक्त इजरावाद की सुनवाई के लिए समय चाहा गया है।

3. निर्णीतऋणी की ओर से प्रार्थना पत्र 21ग प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि उपरोक्त निष्पादन वाद में निर्णीतऋणी अवार्ड की **मूल धनराशि 5,79,444/–** का भुगतान डिक्रीदार को करने के लिए न्यायालय के बैंक खाता में जमा करना चाहता है। अतः न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.03.2025 को परिवर्तित कर उक्त स्वीकृत धनराशि जमा करने हेतु खाते का आहरण वितरण को बहाल करने की कृपा करे जिससे न्यायालय के आदेश के अनुपालन में डिक्रीदार को उक्त धनराशि का भुगतान किया जा सके।

4. निर्णीतऋणी की ओर से सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। निर्णीतऋणी / अधिशासी अभियन्ता द्वारा एच०आर० कागज सं० 21ग/2 के माध्यम से न्यायालय के बैंक खाता में **मूल अवार्ड धनराशि 5,79,444/–** जमा करना चाहा गया है। निर्णीतऋणी का ट्रेजरी खाता न्यायालय के आदेश से सीज है ऐसी तथ्य एवं परिस्थितियों में निर्णीतऋणी द्वारा कोई आहरण वितरण न कर पाने के कारण उक्त धनराशि न्यायालय के खाता में जमा हो पाना संभव नहीं है जिसमें डिक्रीदार का कोई अहित भी नहीं है। जहाँ तक डिक्रीदार की ओर से दाखिल गणनासीट के अनुसार मूल अवार्ड धनराशि ब्याज सहित कुल 19,42,723/– रू० अटैच किया जा चुका है। ऐसे में अवार्ड की मूल धनराशि **5,79,444/–** को घटाकर शेष रू० 13,63,279/– तक अटैच किये जाने का आदेश कायम रखना न्यायोचित होगा। यह निष्पादन वाद वर्ष 2020 से लंबित है जिसका निस्तारण भी अविलम्ब आपेक्षित है।

5. उक्त के परिप्रेक्ष्य में व वर्णित कारणों के आधार पर न्यायहित में निर्णीतऋणी को अवार्ड की मूल धनराशि **5,79,444/–** रू० न्यायालय के बैंक खाता में तत्काल ट्रांसफर करने व बकाया धनराशि रू० **13,63,279/–** तक अटैच किये जाने का आदेश कायम रखते हुये न्यायालय द्वारा पारित आदेश **दिनांक 18.03.2025 को संशोधित करते हुये आहरण–वितरण की अनुमति प्रदान की जाती है।** तदनुसार डिक्रीदार की ओर से समय दिये जाने का प्रार्थना पत्र 20ग व निर्णीतऋणी का प्रार्थना पत्र 21ग **निस्तारित किया जाता** है।

6. आदेश का अनुपालन कराये जाने हेतु मुख्य कोषाधिकारी प्रयागराज को अलग से पत्र प्रेषित की जाये।

7. पत्रावली सुनवाई हेतु दिनांक **01.04.2025** को पेश हो।

पीठासीन अधिकारी
कामर्शियल कोर्ट
प्रयागराज